

31-5-19 पजावली पेश हुई. वकील वादीगण उपस्थित, तहसीलदार  
मांडल द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में बताया  
गया कि पूर्व में ही पटवार हल्का द्वारा प्रकरण  
में जामान्तरण संख्या 24, 25 के द्वारा खाता खोला  
जा चुका है अब प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं  
है। पालना दिनांक 21-5-18 को ही हो चुकी है साथ  
ही पालना रिपोर्ट के साथ जमाबंदी सलग्न है जो शा.  
पत्र की गई।

तहसीलदार मांडल द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही  
शेष नहीं रहने से वाद पत्र इसी स्तर पर  
ड्रॉप किया जाता है।

पजावली फैसल शुमार होकर अम्बर से कम ले।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा